कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक – उनि/सशि/एफ–501/निशु/पापु/2019–20/186–187 दिनांक – 08/01/2020

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।

विषय :– शैक्षिक सत्र 2020–21 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तको की मांग शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2020–21 में राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 के समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं जन जाति के समस्त छात्र एवं वे छात्र जिनके माता–पिता आयकर दाता नहीं है, को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवायी जानी है। इस संबंध में अग्रांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जाए :–

1. शाला दर्पण पोर्टल पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉडयूल में सत्र 2019–20 के वितरण की शत प्रतिशत प्रविष्टि दिनांक 09.01.2020 तक आवश्यक रूप से की जाए।
2. सत्र 2020–21 के लिए संबधित विद्यालय में संचालित कक्षा व अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में किया जाए।
3. पोर्टल पर सत्र 2019–20 के वितरण की शत् प्रतिशत प्रविष्टि पश्चात् विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक व अन्तिम शेष लॉक किया जाना है।
4. गलत मांग लॉक होने की स्थिति में गलत मांग जनरेट होती है इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व नोडल/विद्यालय प्राप्ति, विद्यार्थी वितरण व अन्तिम शेष का सत्यापन कर लेवें।
5. **<u>समस्त विद्यालयों द्वारा स्टॉक लॉक के उपरांत संबंधित नोडल द्वारा पोर्टल से सत्र 2020–21 की नोडल डिमांड जनरेट करते हुए 18.01.2020 तक लॉक किया जाना सुनिश्चित करें।</u>**
6. संबंधित जिला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्रभारी अधिकारी जिले के समस्त नोडल की डिमांड प्रविष्टि का प्रबोधन कर निर्धारित समयावधि में कार्य संपन्न करवाएं।
7. यदि कोई नोडल नियत समयावधि में पोर्टल सत्र 2020–21 मांग जनरेट नहीं करता है तो अंतिम तिथि पश्चात उक्त नोडल की मांग शुन्य मानते हुए जिले की डिमांड अनुसार पुस्तके संबंधित डिपो को भिजवा दी जाएगी। अतः ऐसे नोडल पर पुस्तकों की कमी या आधिक्य की स्थिती बनती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित नोडल प्रभारी की निर्धारित की जाएगी।
8. शैक्षिक सत्र 2020–21 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग के आकलन का आधार शैक्षिक सत्र 2019–20 की पंजीकृत विद्यार्थी संख्या होगी इसमे 10 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़कर मांग प्रविष्ट होगी।
9. कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100 प्रतिशत नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी
10. कक्षा 4 से 5 तक सभी विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत पुरानी एवं शेष नयी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी।
11. कक्षा 6 से 8 में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागु होगा। इसलिए इन कक्षाओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की शत प्रतिशत मांग प्रविष्टि की जानी है।
12. कक्षा 9 में तृतीय भाषा में सिन्धी, गुजराती एवं पंजाबी विषय, संस्कृत शिक्षा विभाग की पूर्व प्रवेशिका हेतु व्याकरण कौमुदी, काव्य कौमुदी की पुस्तकें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की प्रचलित रहेगी। विद्यार्थियों द्वारा इन विषयों की अध्ययन उपरान्त लौटाई गई 50 प्रतिशत पुरानी एवं शेष नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें काम में ली जाएंगी। तद्नुसार मांग की प्रविष्टि की जाए।
13. कक्षा 9 में शेष विषयों के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागु होगा।उक्त बिन्दु संख्या 12 के अतिरिक्त शेष विषयों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की शत प्रतिशत मांग प्रविष्ट की जानी है।
14. कक्षा 9 में राजस्थान का स्वतंत्रता आन्दोलन एवं शौर्य परम्परा विषय की लागु नई पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की है। इसकी शत प्रतिशत मांग प्रविष्ट की जाए।
15. कक्षा 10 में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति विषय की लागु नई पाठ्य पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की है। इसकी शत प्रतिशत मांग प्रविष्ट की जाए।
16. कक्षा 10 की शेष समस्त विषयों की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वर्तमान शैक्षिक सत्र के अनुरूप ही प्रचलन में रहेंगी। इसलिए विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन उपरान्त लौटाई गई 50 प्रतिशत पुरानी एवं शेष नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें काम में ली जाएंगी। इस लिए तद्नुसार मांग की प्रविष्टि की जाए।
17. कक्षा 11 में आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग–1 विषय की लागु नई पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की है। इसकी शत प्रतिशत मांग प्रविष्ट की जाए।
18. कक्षा 11 में सिन्धी साहित्य, गुजराती साहित्य, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य,प्राकृत भाषा, फारसी साहित्य, संगीत, दर्शन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, लोक प्रशासन, भू–विज्ञान, कृषि विज्ञान, कृषि रसायन, कृषि जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान तथा कनिष्ठ–उपाध्याय की संस्कृत वाडंमयादर्शः, काव्य शास्त्रलोक, व्याकरण शास्त्रम एवं संस्कृत शिक्षा सामान्य विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तकें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की प्रचलित रहेगी

इसलिए इन विषयों की विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन उपरान्त लौटाई गई 50 प्रतिशत पुरानी एवं शेष नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें काम में ली जाएंगी। इस लिए तद्नुसार मांग की प्रविष्टि की जाए।

19. कक्षा 11 में बिन्दु संख्या 17 एवं 18 में वर्णित विषयों के अलावा शेष विषयों के लिए शैक्षिक सत्र 2020–21 में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागु होगा। अतः शेष विषयों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग शतप्रतिशत की जानी है।
20. कक्षा 12 में आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग–2 विषय की लागु नई पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की है। इसकी शत प्रतिशत मांग प्रविष्ट की जाए।
21. कक्षा 12 एवं संस्कृत शिक्षा विभाग कीवरिष्ठ उपाध्याय की शेष समस्त विषयों की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वर्तमान शैक्षिक सत्र के अनुरूप ही प्रचलन में रहेगीं। इसलिए विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन उपरान्त लौटाई गई 50 प्रतिशत पुरानी एवं शेष नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें काम में ली जाएंगी। इस लिए तद्नुसार मांग की प्रविष्टि की जाए।
22. ***यदि महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य किसी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी अध्ययनरत है, तो इन विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी माध्यम के निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की ब्लॉक, कक्षा एवं विषयवार मांग दिनांक 09.01.2020 तक इस कार्यालय को जरिए ईमेल सॉफ्ट एवं हार्डकॉपी में प्रेषित करें।***
23. जिस नोडल विद्यालय के माध्यम से अधीनस्थ विद्यालयों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग की गई है, उन विद्यालयों को वितरण, भी उसी नोडल विद्यालय द्वारा किया जाएगा। मध्य सत्र में नोडल विद्यालय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
24. विद्यार्थी के अभिभावक यदि आयकरदाता हैं तो शाला दर्पण के प्रपत्र 09 में उसकी प्रविष्टि की जाए।

संस्कृत शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें :–

25. कक्षाा 01 से 08 तक संस्कृत विषय की 'संस्कृतामृतम' पुस्तक प्रचलित रहेगी। कक्षा 06 से 08 में तृतीय भाषा हेतु कोई पुस्तक प्रचलन मे नही रहेगी। शेष विषयों की पाठ्य पुस्तकों बिन्दु संख्या 09, 10, 11 के अनुसार प्रचलन मे रहेंगी।
26. पूर्व प्रवेशिका (कक्षा 09) में व्याकरण कौमुदी (प्रथमो भागः), काव्य कौमुदी (प्रथमो भागः) प्रचलन मे रहेगी। इस कक्षा में संस्कृत (तृतीय भाषा) की शेमुषी नही लगेगी। शेष सभी पुस्तकें बिन्दु संख्या 12, 13, 14 के अनुसार प्रचलन मे रहेगी।
27. प्रवेशिका (कक्षा 10) में व्याकरण कौमुदी (द्वितीयो भागः), काव्य कौमुदी (द्वितीयो भागः) प्रचलन मे रहेगी। इस कक्षा में संस्कृत (तृतीय भाषा) की स्पदंना नही लगेगी। शेष सभी पुस्तकें बिन्दु संख्या 15, 16 के अनुसार प्रचलन में रहेंगी।
28. कनिष्ठ उपाध्याय (कक्षा 11) में संस्कृतवाडंमयादर्श (प्रथमो भागः) काव्यशास्त्रलोकः (प्रथमो भागः), व्याकरण शास्त्रम् (प्रथमो भागः), संस्कृत शिक्षा सामान्य विज्ञान पुस्तक प्रचलन मे रहेगी। शेष पुस्तकें बिन्दु संख्या 17, 18, 19 के अनुसार प्रचलन में रहेंगी।
29. वरिष्ठ उपाध्याय (कक्षा 12) में संस्कृतवाडंमयादर्श (द्वितीयो भागः),काव्यशास्त्रलोकः (द्वितीयो भागः), व्याकरण शास्त्रम् (द्वितीयो भागः).वरिष्ठोपाध्याय सामान्य विज्ञान पुस्तक प्रचलन मे रहेगी। शेष पुस्तकें बिन्दु संख्या 20, 21 के अनुसार प्रचलन में रहेंगी।

(हिमाशु गुप्ता) 08/01
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिकशिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि अग्रांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1. निजी सचिव, श्रीमान् शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान् सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव, श्रीमान् उपायुक्त, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. समस्त मण्डल संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मु0) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेब साईट एवं शाला दर्पण पर अपलोड करने बाबत।
6. उपनिदेशक (माध्यमिक), कार्यालय हाजा।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक
समाज शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर